दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

+ रिट याचिका (सिविल) सं. 1762/2007

निर्णय सुरक्षित: 09 जुलाई, 2009
निर्णय प्रदानित: 15 जुलाई, 2009

भारत संघ ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पी.के. डेय के साथ श्री एन.बी. जोशी अधिवक्तागण

बनाम

श्रीमती. संतोष .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री ए.के.त्रिवेदी अधिवक्ता

कोरमः

माननीय श्री न्यायाधीश मदन बी. लोकुर
माननीय श्री न्यायाधीश ए.के. पाठक

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां
2. पत्रकार के पास भेजा जाना है या नहीं? हां
3. क्या निर्णय को डायजेस्ट में रिपोर्ट किया जाना चाहिए? हां

न्या., ए.के. पाठक

1. मूल आवेदन सं. 165/2006 मे पारित आदेश दिनांक 8 अगस्त 2006 के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में इसके बाद

"अधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया) ने याचिकाकर्ता को दो महीने की अवधि के भीतर सभी बकाया राशि के साथ नियत तिथि से प्रत्यर्थी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश दिया है। इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित कर दिया जाए।

2. अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी का मामला यह है कि उनके दिवंगत पति श्री छोटे लाल को आकस्मिक आधार पर याचिकाकर्ता के साथ खलासी के रूप में नियुक्त किया गया था। 120 दिन पूरे होने पर उन्हें अस्थायी दर्जा और नियमित वेतनमान दिया गया। इसके बाद, उनकी जांच की गई और बी-1 श्रेणी में उन्हें चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किया गया। वर्ष 1990 में उन्हें नियमित करने के लिए विचार किया गया था, लेकिन नियमित करने की प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व दुर्भाग्य से 22 मई, 1991 को अपने दायित्व के निर्वहन के दौरान एक रेल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। पारिवारिक पेंशन देने हेतू प्रत्यर्थी के दावे को याचिकाकर्ता द्वारा 6 दिसंबर, 2004 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था कि श्री छोटे लाल एक नियमित कर्मचारी नहीं थे।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, श्री छोटे लाल को 5 मई, 1984 को आकस्मिक श्रम के रूप में नियुक्त किया गया था और 120 दिन पूरे होने के बाद उन्हें सी एंड डब्ल्यू खलासी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। श्री छोटे लाल की जांच अन्य

लोगों के साथ वर्ष 1993 में आयोजित की जानी थी, लेकिन दुर्भाग्य से 22 मई, 1991 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय, श्री छोटे लाल एक आकस्मिक श्रमिक थे और उनकी विधवा पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं थी।

4. अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मूल आवेदन के पैरा 4.2 में प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से कहा था कि श्री छोटे लाल, जिन्हें "स्थानापन्न" के रूप में नियुक्त किया गया था, ने चार महीने तक काम करने के बाद अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया था। याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में इस कथन का विशेष रूप से विरोध नहीं किया था। केवल यह कहा गया था कि श्री छोटे लाल की दूसरों के साथ जांच नहीं की जा सकी और 22 मई, 1991 तक उनके किसी भी कनिष्ठ को नियमित नहीं किया गया था। रेलवे स्थापना नियमों के तहत यह प्रावधान किया गया था कि एक आकस्मिक कर्मचारी या एक स्थानापन्न जो बिना किसी विराम के लगातार 120 दिनों तक काम करता है, उसे अस्थायी सेवक का दर्जा प्राप्त हो जाता है। याचिकाकर्ता ने स्वयं 31 जुलाई, 1988 को 120 दिन पूरे करने और 11 अगस्त, 1989 को सी एंड डब्ल्यू खलासी के स्थानापन्न के रूप में प्रत्यर्थी के पति की नियुक्ति हेतू अभिवाक् दायर किया था, इसलिए दिवंगत श्री छोटे लाल ने चार महीने की समाप्ति पर अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया था। अधिकरण द्वारा यह भी कहा गया कि आकस्मिक कर्मचारी को कभी भी एक निश्चित वेतनमान पर

नियुक्त नहीं किया जाता है। अधिकरण, **प्रभावती देवी बनाम भारत संघ व अन्य** पर भरोसा करते हुए, **(1996) 7 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 27** में प्रतिवेदित किया कि श्री छोटे लाल ने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया था और उनकी विधवा पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार थी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेगपूर्ण ढंग से तर्क दिया कि श्री छोटे लाल को आरंभ में आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था और 120 दिनों के पूरा होने के बाद उन्हें 11 अगस्त, 1989 को 750-940/- रुपये के ग्रेड में अस्थायी रूप से जांच लंबित रहने तक सी एंड डब्ल्यू खलासी के स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि उनकी मृत्यु तक नियमित पद के लिए जांच नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने नियमानुसार अस्थायी दर्जा प्राप्त नहीं किया था। वह एक आकस्मिक श्रमिक था, इसलिए उसकी विधवा पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं थी। रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 1501 के अनुसार, "अस्थायी दर्जे के साथ आकस्मिक श्रमिक" सहित "आकस्मिक श्रमिक", "अस्थायी रेलवे कर्मचारी" के दायरे और कार्यक्षेत्र में नहीं आएगा, इस प्रकार, श्री छोटे लाल एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी के लिए उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों के हकदार नहीं थे। तदनुसार, प्रत्यर्थी आकस्मिक श्रमिक की विधवा पत्नी होने के कारण पारिवारिक पेंशन के लाभ की हकदार नहीं थी। **उन्होंने (1997) सर्वोच्च न्यायालय के 6 मामलों 580** में प्रतिवेदित किए गए **भारत संघ और अन्य बनाम राबिया**

बीकानेर और अन्य पर भरोसा करती है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रभावती देवी (पूर्वोक्त) के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय पर विचार किया गया था, लेकिन इसे अलग किया गया और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने **महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे और अन्य बनाम चंदा देवी नामक एक निर्णय पर** भी भरोसा किया है जो **(2008) 2 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 108** में प्रतिवेदित की गई।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आवेगपूर्ण ढंग से तर्क दिया है कि श्री छोटे लाल को आरंभ में आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 120 दिनों के पूरा होने के बाद उन्हें नियमित वेतनमान में स्थानापन्न खलासी के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 22 मई, 1991 अर्थात् 1 वर्ष 9 महीने से अधिक, अपनी मृत्यु तक उक्त पद पर काम करना जारी रखा। रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 1515 को ध्यान में रखते हुए चार महीने की निरंतर सेवा के पूरा होने पर श्री छोटे लाल "स्थानापन्न" होने के नाते सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों के हकदार बन गए, जो एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी के लिए स्वीकार्य थे। तदनुसार, प्रत्यर्थी पारिवारिक पेंशन का हकदार था।

7. हमने दोनों पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी दलीलों को अभिलेख के आधार पर विचार किया और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों में कोई बल नहीं पाते हैं। रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 1501 में "अस्थायी रेलवे कर्मचारी" को

परिभाषित किया गया है। हालाँकि, यह "स्थानापन्न" की श्रेणी से संबंधित नहीं है। "स्थानापन्न" की परिभाषा रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 1512 में निहित है। "स्थानापन्न" के लिए स्वीकार्य अधिकारों और विशेषाधिकारों को रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 1515 में परिभाषित किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि "स्थानापन्न" को वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए जो चार महीने की निरंतर सेवा के पूर्ण होने पर एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी को समय-समय पर स्वीकार्य हों।

8. अधिकरण के समक्ष दायर अपने प्रति शपथ-पत्र में याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि श्री छोटे लाल को 5 मई, 1984 को आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था और 120 दिन पूरे होने के बाद उन्हें 11 अगस्त 1989 को ग्रेड 750-940/- रुपये में अस्थायी रूप से जांच लंबित रहने तक सी एंड डब्ल्यू खलासी के स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि उन्होंने 22 मई, 1991 को अपनी मृत्यु तक उक्त पद पर काम करना जारी रखा। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि श्री छोटे लाल ने 750-940/- रुपये के ग्रेड में सी एंड डब्ल्यू खलासी के स्थानापन्न के रूप में 1 वर्ष 9 महीने से अधिक समय तक काम करना जारी रखा। हमारी राय है कि श्री छोटे लाल इस प्रकार रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 1515 को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों के हकदार बन

गए। हमारा यह भी विचार है कि दिवंगत श्री छोटे लाल को 11 अगस्त, 1989 को सी एंड डब्ल्यू खलासी के स्थान पर नियमित ग्रेड में नियुक्त किया गया था और चूंकि उन्होंने अपनी मृत्यु तक उक्त क्षमता में 1 वर्ष और 9 महीने से अधिक समय तक काम करना जारी रखा था, इसलिए उन्हें "आकस्मिक श्रमिक" या "अस्थायी दर्जे के साथ आकस्मिक श्रमिक" नहीं कहा जा सकता है। हमारे विचार में अधिकरण ने ठीक ही कहा है कि एक आकस्मिक कर्मचारी कभी भी नियमित श्रेणी और/या वेतनमान में संलग्न नहीं होता है। चूँकि श्री छोटे लाल को एक नियमित श्रेणी में "स्थानापन्न" के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अस्थायी दर्जे के साथ आकस्मिक श्रम और/या आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे।

9. प्रभावती देवी (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रेलवे में एक आकस्मिक कर्मचारी को "स्थानापन्न" का दर्जा प्राप्त होने पर और एक वर्ष से अधिक समय तक इस पद पर बने रहने के बाद उसकी विधवा पत्नी और बच्चे पारिवारिक पेंशन के हकदार बन जाएंगे। वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से समाविष्ट किया गया है। हमारे विचार में, अधिकरण ने याचिकाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद दो महीने की अवधि के भीतर सभी बकाया राशि के साथ नियत तिथि से परिवारिक पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय अलग-अलग तथ्यों पर हैं और याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं हैं। राबिया बीकानेर (पूर्वोक्त) के मामले में यह माना गया था कि रेलवे में एक आकस्मिक श्रमिक, जिसकी छह महीने की सेवा में रहने के बाद और एक अस्थायी पद पर उनकी नियुक्ति से पहले मृत्यु हो गई थी, उसकी विधवा पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं थी। इसी तरह, चंदा देवी (पूर्वोक्त) के मामले में, यह माना गया था कि एक आकस्मिक श्रमिक की विधवा पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं थी। इन मामलों में, उन अधिकारों और विशेषाधिकारों पर चर्चा नहीं की गई है जो एक "स्थानापन्न" के लिए उत्तरदायी थे। प्रभावती देवी (पूर्वोक्त) के मामले को राबिया बीकानेर (पूर्वोक्त) के मामले में अलग किया गया था क्योंकि यह अलग संदर्भ और तथ्यों पर था।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि श्री छोटे लाल ने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया था और उनकी विधवा पत्नी पारिवारिक पेंशन के लाभ की हकदार थी। तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

न्या., ए.के. पाठक

न्या., मदन बी. लोकुर

15 जुलाई, 2009

आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*